तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.1.21	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी दोनों उपस्थित हैं। पक्षकारान की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा की गई। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किया गया आपसी सहमति का राजीनामा पक्षकारान को हूबहू पढ़कर सुनाया गया। उपस्थित दोनों पक्षकारान द्वारा उक्त आपसी सहमति के राजीनामें को पढ़कर सुनकर तथा समझकर सही होना तथा उनके द्वारा ही पूर्ण रज़ामन्दी से तैयार कर प्रस्तुत करना स्वीकार किया। राजीनामें पर पुनः उनके विद्वान अधिवक्तागण की मौजूदगी में हस्ताक्षर करवाये जाकर राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा कथन किये कि वादी व प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हो गया है राजीनामें अनुसार वाद का निस्तारण कर दिया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी नम्बर 1 का कथन है, कि वादी के वाद के साथ एक अन्य वाद प्रति-	

उपखण्ड अधिकारी
मण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलकार के हुक्म की तामील में जारी
	वादी द्वारा प्रस्तुत किया था। उक्त वाद मोहनलाल बनाम रामलाल को प्रतिवादी मोहनलाल वगैरह द्वारा विड्रॉ कर लिया है। राजीनामे अनुसार वाद पर निर्णय फरमाया जावे। बाद बहस दोनों पत्रावलियों का अवलोकन किया। पश्चात वाला वाद मोहनलाल बनाम रामलाल को राजीनामे अनुसार वापस किया जा चुका है तथा राजीनामे अनुसार पक्षकारान के मध्य आपसी समस्त विवादक बिन्दुओं का अवसान हो जाने से तफ्सीलवार विवेचन की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रस्तुत राजीनामा वाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम जगपुरा खुर्द की भूमि ख०नं० 197/26/रकबा 1.23 हे० का हिस्सा 1/2, हिस्सा कैशा कुल खेवा का वादी रामलाल के नाम दर्ज किया जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली की निर्णिति में गणना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (देशराज राम) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामपुर[illegible]	

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~[illegible]~~

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी

व इजलास देवाल दास (I.A.S.)

रामलाल बनाम मोहनलाल

2013/00169

दावा बाबत 88-188 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं 74 सन 2013

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ देवालदास (I.A.S.)

बहाजरी श्री M.P. सोनी / श्री डग. अडीट एड. मिनजानिब मुद्दई व श्री जे.टी. सोनी एड.

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

हस्ब राजीनामा वाद वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि ग्राम जाखुरा पुर्द की कृषि ख.नं. 137/261 रकबा 1.2360 का हिस्सा ½ हिस्सा हैरान पुत्र रवेमा को वादी रामलाल के नाम दर्ज किया जावे।

बीज — मुबालग — बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह — फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 01 2021

को जारी की गई।

दस्तखत [signature]

ओहदा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान ...	—	—
मीजान	—	—			

नोट:–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

रा. मु. को. 135-2006-1,00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी